



Neutral Citation No. - 2026:AHC:21446

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट याचिका संख्या - सी - 3382 वर्ष 2026

राज कुमारी और 2 अन्ययाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कन्हैया लाल तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से असंतुष्ट महसूस करता है, तो आदेश में पुनरीक्षण/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार (न्यायिक), तहसील हरैया, जिला बस्ती को मामला संख्या 08185/2020 (कंप्यूटरीकृत मामला संख्या टी202017140108185) (राज कुमारी और अन्य बनाम भवानी प्रसाद) का शीघ्र निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर किया गया एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



यह उल्लेख करना उचित होगा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में यह अनिवार्य है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका निपटारा करना होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अनुसार,

(7). तहसीलदार पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर बिना विवाद वाले उत्परिवर्तन मामले का निपटारा करने का प्रयास करेगा। और विवादित उत्परिवर्तन मामले का निपटारा 90 दिनों की अवधि के भीतर करेगा। यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।

5. उक्त प्रावधान के आलोक में और साथ ही पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार (न्यायिक), तहसील हरैया, जिला बस्ती को निर्देश जारी किया जाता है कि वे उक्त आवेदन पर विचार करें और कानून के अनुसार, यथासंभव शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, इसका निपटारा करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिवादी दलीलों की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

30 जनवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"